# न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दांडिक प्रकरण क0-531/08</u> <u>संस्थापित दि0 30/12/08</u> <u>फाईलिंग नं.233504000132008</u>

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

---अभियोजन

#### -: विरूद्ध :-

1—साबू पिता छोटे, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड, पेशा मजदूरी, ग्राम चुटकी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0) 2—रामप्रसाद पिता बाबू गोंड, ग्राम चुटकी (फौत)

---- <u>अभियुक्तगण</u>

## <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक 22 / 11 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, 506 भाग—2, 440 व 452 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 13/10/08 को 20:00 बजे रतेडा दुर्ग (चुटकी) में सार्वजनिक स्थल के समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी फुलवंतीबाई को क्षोभ करित किया, फरियादी फूलवंती की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की, संत्राश कारित करने के आशय से फरियादी फूलवंतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, फरियादी फूलवंतीबाई की मृत्यु पर उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् दरवाजा तोड़कर रिष्टि कारित की, फरियादी फूलवंतीबाई को उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह—अतिचार कारित किया।
- 2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम रतेडा खुर्द रहती है। उसका पित डब्ल्यू०सी०एल० में सारणी में काम करता है। उसके पित ने एक मोटर साईकिल खरीदी थी। उसके बाद उसका लडका गुलाब कर्नाटक में नौकरी करने चला गया तो उसकी मोटर साईकिल को चलाने के लिए रामप्रसाद जो उसका सौतेला लड़का है, ने ले गया, रामप्रसाद की पत्नी शिवकली ने उससे कहा कि मॉ मोटर साईकिल तुम रखती, तुम्हारा लडका रात दिन मोटर साईकिल लेकर घुमता है काम नहीं करता है तो उसने कहा सबेरे मोटर साईकिल लाकर घर में रख लिया, रात को करीब 9 बजे वह खाना खाकर उठी, तभी उसके घर में साबू घुसा और उसे मां बहन की नंगी—नंगी गालियाँ देकर उसे पकड़ लिया, वह चिल्लाने लगी तो साबू ने

उसे मारा और कहा चिल्लायेगी तो जान से मार डालेगा और रामप्रसाद से बोला कि कुल्हाड़ी ला तो इसने मोटर साईकिल लेती है मार कर फेंक देगें। वह साबू से छूट कर भागी और बाड़ी में छुप गई, थोडी देर में वह कोटवार शंभू के घर गई और झगड़े की बात आई। साबू और रामप्रसाद ने उसके भागने के बाद कुल्हाड़ी से उसके घर का दरवाजा तोड दिया। रात होने से वह रिपोर्ट करने नहीं आ सकी, अभी गांव के कोटवार को लेकर थाने पर आई।

- 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 1 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप०कं०—423/08 कायम कर अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०वि० धारा—452, 294, 323, 506 भाग—2, 427 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 14.10.08 को नक्शा मौका तैयार किया गया। दिनांक 14/10/08 को नुकसानी पंचनामा प्र0पी० 3 तैयार कया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया अपने परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

## 5— : <u>न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि</u>:—

- 1— ''क्या दिनांक 13/10/08 को 20:00 बजे रतेडा दुर्ग (चुटकी) में सार्वजनिक स्थल के समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी फलवतीबाई को क्षोभ करित किया?''
- 2— ''क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी फूलवती की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?''
- 3— '' क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने संत्राश कारित करने के आशय से फरियादी फूलवतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?''
- 4— " क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी फूलवतीबाई की मृत्यु पर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् दरवाजा तोड़कर रिष्टि कारित की?"
- 5— '' क्या उक्त दिनांक समय व सीिन पर आपने फरियादी फूलवतीबाई को उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह—अतिचार कारित किया?''

#### —ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— <u>विचारणीय प्रश्न क0 2,4,5 का निराकरण</u>

6— अभियोजन साक्षी फुलवन्तीबाई (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर पर खाना खा रही, तभी वहां पर आरोपीगण आए और घर के सामने वाले दरवाजे को सब्बल और गैंची से तोडने लगे, जिससे दरवाजा टूट गया दरवाजा टूटने से उसे लगभग बीस हजार रूपये का नुकसान हुआ। उसने आरोपीगण को कहा कि दरवाजा मत तोड़ो तो दोनों उसके साथ हाथ मुक्कों और लात से मारपीट किए और मारपीट करने से उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई। साबू ने हाथ मुक्के से मारा था। दोनों ने उसका गला दबा दिया था। आरोपीगण घटना के कुछ दिन पूर्व उसके घर में रखी मोटर सायकल जबरदस्ती लेकर चले गऐ थे, उसने आरोपी रामप्रसाद से अपनी मोटर सायकिल वापस मांगी थी तो उसने मोटर सायकल वापस नहीं कि और मोटर सायकल की बात को लेकर ही आरोपी ने उसके घर में आकर लड़ाई—झगड़ा और तोड़—फोड़ किया था उसने घटना की शिकायत पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र0पी0—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा कराई थी। पुलिस ने उसके घर पर आकर मौका नक्शा प्र0पी0—2 तैयार किया। पुलिस ने दरवाजे को हुई नुकसानी के संबंध में लिखा—पढ़ी की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

7— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि दरवाजा तोड़ने वाली घटना एक माह पहले दोनों आरेपीगण ने घर से मोटर साईकिल ले गये थे। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जब मोटर साईकिल निकाल कर ले गए थे उस समय वह सारणी में थी। अर्थात् अभियुक्तगण के द्वारा उसके घर में मोटर साईकिल निकालते हुये नहीं देखा गया। क्योंकि इस घटना के एक माह पहले मोटर साईकिल निकालने वाली घटना हुई है और वह घटना के समय सारणी में थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि जानकारी लगने के 15 दिन बाद से वह गांव आई थी, आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि 15 दिन बाद घटना की शिकायत इसलिए नहीं की, क्योंकि वह समझाना चाहती थी कि गाड़ी प्रेम से लाकर घर में रख दो। अर्थात् मोटर साईकिल घर से निकाल कर ले जाने के संबंध में इस गवाह ने कोई शिकायत नहीं की।

8— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि रामप्रसाद और साबूलाल ने उसकी मोटर साईकिल ले गई थी वापस कर देता तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करती। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में स्वीकार किया है कि मोटर साईकिल ले गया और घर का ताला तोड़ दिया, इसी बात की अभियुक्तगण से रंजिश थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी साबू और रामप्रसाद द्वारा उसके घर से ताला तोड़कर मोटर साईकिल ले जाने की रिपोर्ट लेख करवाई थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने मोटर साईकिल ताला तोड़कर ले जाने के बयान दिये थे। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे थाना वालों ने मोटर साईकिल दे दी है। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि मोटर साईकिल ताला तोड़कर ले जाने के अलावा अभियुक्तगण के खिलाफ अन्य कोई संबंध में रिपोर्ट नहीं की। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसके घर से मोटर साईकिल ले जाने के कारण ही वह रंजिश रखती थी और मोटर साईकिल ले जाने के कारण ही वह रंजिश रखती थी और मोटर साईकिल ले जाने के कारण ही उसलाफ उक्त संबंध में ही रिपोर्ट दर्ज कराई।

9— अभियोजन साक्षी डाॅ० एन०के० रोहित (अ०सा०५) ने अपनी साक्ष्य में

बताया है कि जिसे छाती में दर्द था पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0—5 है जिसके ऐ से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि आहत के शरीर के किसी भाग पर उसने चोट नहीं पाई थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि आहत ने उसे छाती में दर्द होना बताया था। छाती में दर्द शर्दी खांसी हो सकती है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभुयक्तगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की, फरियादी फुलवंतीबाई ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दोनों उसके साथ हाथ लात मुक्कों से मारपीट किए और मारपीट करने से उसके शरीर में कई हिस्सों पर चोट आई, दोनों ने उसका गला दबा दिया था। इस प्रकार फरियादी फुलवंतीबाई के द्वारा जो मुख्यपरीक्षा में बताए गए तथ्य है उन तथ्यों से डाँ० एन०के० रोहित (अ०सा०५) की साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है। क्योंकि जिस हिसाब से फरियादी ने मारपीट करना बताया है यदि वास्तविक रूप से फरियादी फुलवंती को अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किया जाता तो उसके शरीर में चोट या रगड़ के निशान आवश्यक रूप से दिखाई देते।

10— अभियोजन साक्षी शम्भू (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसे आरोपी रामप्रसाद और साबू के गाली बकने की और दरवाजे पर जोर से मुदाल मारने की आवाज सुनाई दी तो वह एक दम से घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि फूलवंतीबाई के घर का दरवाजा टूट गया था और फूट गया था। वहां पर आरोपी रामप्रसाद और साबू खड़े थे। उसे फूलवंतीबाई ने बताया था कि दोनों उसके साथ घर में घुस कर हाथ मुक्कों से मारपीट किया था। वह अगले दिन सुबह फूलवंतीबाई को पुलिस थाना रिपोर्ट लिखाने गया था। बाद में पुलिस जॉच करने आई थी और बाद में पुलिस ने टूटे हुए दरवाजे का नुकसानी पंचनामा बनाया था नुकसानी पंचनामा प्र0पी0—3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नुकसान 50—60 हजार रूपये तक का हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

11— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह घटना वाले दिन वह उसके घर में था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त घटना वाली बात उसको फुलवंतीबाई ने बताई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह फुलवंतीबाई को बताने पर घटना स्थल पर गया था उस समय आरोपीगण वहां पर उपस्थित थे। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह वहां पर पहुँचा तो आरोपी रामप्रसाद और साबू उसके आंगन में खड़े थे। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि फुलवंतीबाई का दरवाजा किसने तोड़ा उसने नहीं देखा सिर्फ उसने गाली गलौच हो रही थी, यह सुना था और एक के हाथ में कुल्हाडी और एक के हाथ में बसुला था। इस आधार पर वह कह रहा है कि दरवाजा आरोपीगण ने ही तोड़ा होगा। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके सामने अभियुक्त रामप्रसाद और साबू फुलवंतीबाई के घर में नहीं घुसे थे।

12— इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि घटना के समय यह गवाह उसके घर के अंदर था उसने घटना होते नहीं देखा और किसके द्वारा दरवाजा तोड़ा गया, यह नहीं देखा। इस गवाह के समक्ष फिरयादी के घर के अंदर अभियुक्तगण नहीं घुसे। इस गवाह के समक्ष अभियुक्तगणों के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। क्योंकि यह गवाह मुख्यपरीक्षा में उसके सामने घटना होना बताया है किन्तु प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह घटना के समय घर के अंदर था उसके सामने अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की और कोई दरवाजा नहीं तोड़ा। स्वयं फिरयादी ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि कोटवार से उसकी अच्छी बोलचाल हैं। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके साथ कोटवार भी रिपोर्ट करने आमला आया था। अर्थात् फिरयादी एवं ग्राम कोटवार हितबद्ध साक्षी है और फिरयादी के कथनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त के द्वारा मोटर साईकिल ले जाने के कारण ही उसने थाने में मोटर साईकिल ले जाने के संबंध में थाना में रिपोर्ट दर्ज की थी। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन साक्षी सम्भू की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

13— अभियोजन साक्षी अनंतराम (अ०सा०३) एवं अभियोजन साक्षी लल्लू (अ०सा०१) उक्त दोनों गवाह स्वतंत्र साक्षी है। उक्त दोनों गवाहों ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

14— भा0द0वि० की धारा—440 यह उपबंधित करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहित या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, अथवा मृत्यु का, या उपहित का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तथा भा0द0वि० की धारा—452 यह उपबंधित करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति की उपहित कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहित के या हमले के, या सदोष अवराध के भय में डालने की तैयारी करके गृह—अतिचार करेगा। इस प्रकार उक्त दोनों अधिनियम अनुसार यह आवश्यक है कि फिरयादी फुलवंतीबाई के साथ किसी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु उपहित या सदोष अवरोध कारित करने या भय कारित करने के अंतर्गत दोषसिद्धि मानी गई है, किन्तु फिरयादी फुलवंतीबाई (अ०सा01), डाँ० एन०के० रोहित (अ०सा05) एवं अभियोजन साक्षी शंभू (अ०सा02) की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि फिरयादी फुलवंतीबाई को अभियुक्तगण के द्वारा मृत्यु कारित करने या उपहित या सदोष अवरोध करने अथवा भय कारित किया गया हो, इसी प्रकार भा0द0वि० की धारा 440 एवं 452 के तथ्य भी स्पष्ट नहीं होते है।

15— बचाव साक्षी घुसाजी कंगाली (ब0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि साबू के मकान से 10—15 फिट के अंतर में फरियादी फूलवंती का मकान लगा हुआ है। फूलवंती आरोपी की सगी भाभी है। रामप्रसाद फुलवंती का सौतेला लड़का हैं उसने मकान दूसरे तरफ बना लिया था। बसीराम और वह जैसे ही दुर्गाजी के मंच के वापस गये उसी समय उसके सामने रामप्रसाद आ गया था। वह पहुँचे वहां पर रामप्रसाद उपस्थित नहीं था। रामप्रसाद अचानक आया और फुलवंती के मकान का दरवाजा तोड दिया और मोटर सायिकल निकाल लिया। घटना के समय साबू स्वयं के घर में था। रामप्रसाद गाड़ी लेकर चला गया और फुलवंती रामप्रसाद को गाली देते रहीं उसके सामने साबू ने घटना के समय फुलवंती के साथ कोई गाली गलौच लडाई झगडा मकान में घुसने वाली घटना नहीं की। उक्त तथ्य स्वयं फरियादी फुलवंती

(अंग्रावा) एवं शंभू (अंग्राव्य) के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से ही स्पष्ट है फरियादी ने स्वीकार किया है कि उसकी मोटर साईकिल ले जाने के कारण अभियुक्तगण से रंजिश रखती थी। इस कारण ही उसने थाना आमला में रिपोर्ट की है। अर्थात् अभियुक्तगण के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई। बल्कि मोटर साईकिल उसके घर से ले गए थे जिसकी रिपोर्ट स्वयं फरियादी ने नहीं की।

16— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंती की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। और उर्पयुक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई की मृत्यु पर उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् दरवाजा तोड़कर रिष्टि कारित की। और उर्पयुक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई को उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह—अतिचार कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 2, 4, 5 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण

17— अभियोजन साक्षी फुलवंतीबाई (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अभुक्तगण ने उसे मॉ बहन की चोदू की गालियॉ भी दिये थे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि गालियां अपने आप में शिष्टाचार के विपरीत प्रकट होती हैं, लेकिन जो भा.द.वि. की धारा—294 में अश्लील भाब्द की परिसंकल्पना की गयी है, उसकी कोटि में ये शब्दावली नहीं आती, क्योंकि अश्लील भाब्द की जो परिसंकल्पना की गयी है, उसका अभिप्राय ऐसे भाब्दों से है जो कि सुनने वाले व्यक्ति को दूशित अवनित की ओर ले जाता हो। उसके मन में दूशित विचारों यथा—कामुक, यौन मनोवेग आदि को उत्पन्न करता हो। विचारणीय भाब्द ऐसा कोई विचार उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये क्षणिक आवेग के फलस्वरूप बिना उस भाब्दिक भाव के प्रयुक्त होते हैं, जो कि इन भाब्दों से जुड़ा हुआ है। इससे आरोपी के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा—294 का आरोप गठित नहीं होता। इस संबंध में न्यायालय द्वारा अपनाये जा रहे दृष्टिकोण को बल, मान्नीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत सोबरन बनाम म०प्र० राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्टनोट 135 व विष्णु प्रसाद बनाम म०प्र० राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नोट 148 में अवधारित विधिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है।

## विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण

18— अभियोजन साक्षी फुलवंती (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दिये थे। आरोपीगण द्वारा मौखिक स्वरूप की धमकी दी गयी है, धमकी के अग्रसरण में कोई ओवरएक्शन नहीं किया गया, इससे आरोपीगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा—506 [बी] का आरोप गठित नहीं होता, क्योंकि मात्र मौखिक धमकी से कोई ऐसा भय अभियोगी फुलवंतीबाई [अ.सा.1] के मन

में उत्पन्न हुआ हो कि दी गयी धमकी को कियान्वित किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धमकी के अनुसरण में कोई कार्य नहीं किया गया। इससे आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा— 506 [बी] का आरोप प्रमाणित नहीं होता। इस संबंध में न्यायदृष्टांत रोशनलाल विरूद्ध एम.पी. स्टेट 1968 एम.पी.एल.जे. पेज नंबर—172 अवलंबनीय हैं। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1, 3 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी फुलवंतीबाई को क्षोभ करित किया। प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने आपने संत्राश कारित करने के आशय से फरियादी फूलवंतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई की मृत्यु पर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् दरवाजा तोड़कर रिष्टि कारित की। प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित किया। इस प्रकार भादं0वि० की धारा २९४, ३२३, ५०६ भाग-2, ४४० व ४५२ का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्त साबू को दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गए। आरोपी 20-का धारा ४२८ द०प्र०सं० का प्रमाण तैयार किया जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं। निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0